98 (4) सार्वजनिक क्षेत्र में बोर्ड स्तर के पद पर चुने और नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले में बोर्ड स्तर से निचले पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) रखने संबंधी नीति।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के तारीख 31.1.1994 को का.ज्ञा. सं. 23 (9) 93–जी एम का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. सरकार ने उपर्युक्त ज्ञापन में आशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर से निचले स्तर के कर्मचारियों की उसी उद्यम या किसी अन्य केन्द्रीय लोक उद्यम में बोर्ड स्तर के पद पर चुने और नियुक्त किए जाने पर उनके पुनर्ग्रहणाधिकार रखने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।

3. अतः सभी प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों से अनुरोध है कि वे सरकार के उक्त निर्णय के अनुपालन के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सा.क्षे. के उद्यमों को सूचित करें।

(डी पी ई का 13 जनवरी, 1999 का कार्यालय ज्ञापन सं. 23 / 19 / 98–जीएल–014 / डी पी ई (जीएम)